प्रेस नोट 23/07/2021

थाना कोतवाली क्षेत्रार्न्तगत चेन (पीली धातु) लूट का प्रयास करने वाला शातिर व्यक्ति गिरफ्तार–

थाना कोतवाली क्षेत्रार्न्तगत दिनांक 22.07.2021 को सहादतपुरा अली बिल्डिंग के पास से, वादी आतिश सिंह निवासी महुआर थाना कोपागंज व आस–पास के लोगों द्वारा शुभम वर्मा पुत्र कपूर चंद निवासी मुंशीपुरा थाना कोतवाली मऊ को चेन (पीली धातु) लूट का प्रयास करने के आरोप में थाना स्थानीय पर सुपुर्द किया गया। पूछताछ तथा तलाशी के दौरान उक्त चेन अभियुक्त के कब्जे से बरामद हुयी। इस के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर उक्त अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 282/21 धारा 392,411 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

सोना दिखाकर महिला से रुपयों की ठगी करने वाला शातिर व्यक्ति गिरफ्तार–

थाना कोपागंज क्षेत्रार्न्तगत दिनांक 22.07.2021 को वादिनी वंदना देवी निवासिनी वाजिदपुरा थाना कोपागंज व आसपास के लोगों द्वारा प्रतिवादी कन्हैया मौर्य पुत्र रामचंद निवासी जाफरीगंज थाना कोतवाली जनपद बलिया को सोने की बिल्ली दिखाकर धोखाधड़ी करके नकली सोने की बिल्ली देकर 25 हजार रुपये ले लेने के आरोप में थाना स्थानीय पर सुपुर्द किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्त के विरुद्ध 332/21 धारा 420,406,411 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

दिनांक 21.07.2021 को थाना कोतवाली क्षेत्रार्न्तगत महिला की हुयी हत्या मामले में वांछित अभियुक्ता गिरफ्तार–

थाना कोतवाली क्षेत्रार्न्तगत दिनांक 22.07.21 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान मु0अ0सं0 279/21 धारा 302,504 भादवि में प्रकाश में आयी वांछित अभियुक्ता (मृतक की देवरानी) मनीषा देवी पत्नी सोनू साहनी निवासिनी मलिन बस्ती भीटी थाना कोतवाली मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

एक वांछित (जालसाज) अभियुक्त गिरफ्तार–

थाना कोतवाली पुलिस द्वारा आज दिनांक 23.07.2021 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 233/21 धारा 420,467,468,471,323,504,506,308 भादवि में वांछित अभियुक्त फर्जी जालसाज डाक्टर उमेश कुमार सिंह पुत्र लल्लन सिंह निवासी जमनिया स्टेशन थाना जमनिया जनपद गाजीपुर को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया। उल्लेखनीय है कि उक्त अभियुक्त फर्जी डाक्टर बन कर जनपद मऊ में पूर्व में त्रिदेव हास्पिटल बाद में ओम हास्पिटल चलाता था। आज सूचना मिली की उक्त अभियुक्त

घोसी में मधुबन रोड करीमुद्दीनपुर में आसमा अस्पताल चला रहा है। उक्त अभियुक्त के द्वारा इलाज के दौरान वादी मुकदमा की बहन के रीढ़ की हड्डी व दोनों पैर सुन्न हो गया था तथा बेहोस हो गयी थी। वादी के तहरीर पर उपरोक्त अभियोग पंजीकृत किया गया था। यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त अभियुक्त के विरूद्ध जनपद गाजीपुर में भी पूर्व में दो अभियोग पंजीकृत है।

शांति भंग की आशंका में 32 व्यक्ति गिरफ्तार–

आज दिनांक 23.07.2021 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना दक्षिणटोला पुलिस द्वारा इन्द्रेश राजभर, सुरजीत राजभर, रामविलास, जितेन्द्र, राहुल निवासीगण कासिमपुर बैजापुर थाना दक्षिणटोला, थाना हलधरपुर पुलिस द्वारा अच्छेलाल, संजय, श्रवण यादव निवासीगण मीरपुर, सुनील निवासी मूहवा, सुनील यादव निवासी पहसा थाना हलधरपुर, थाना कोपागंज पुलिस द्वारा रामविजय, रामश्रे, सभाजीत, दिनेश यादव निवासीगण लारपुर थाना कोपागंज, थाना कोतवाली पुलिस द्वारा मो0 यूसूफ, अफरोज अहमद, सद्दाम, अनिश, सलीम निवासीगण अलीनगर बड़ी कम्हरिया, लक्ष्मण पासवान निवासी भीटी, दीलीप, सुभम निवासीगण छोटी बकवल थाना कोतवाली, थाना मधुबन पुलिस द्वारा राजकिसोर सिंह, राजेश्वर सिंह, सुदामा यादव, मुसाफिर निवासीगण बखरिया, रामहरख, शुभाष निवासीगण सुग्गी चौरी थाना मधुबन, थाना रानीपुर पुलिस द्वारा जवाहर गौतम, वीरेन्द्र, जोगेन्द्र निवासीगण रानीपुर, रविन्द्र यादव, सिद्धान यादव निवासीगण बरहा, बालकिसुन निवासी कसारी थाना रानीपुर जनपद मऊ को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।